IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
E.A. No. 34/2024

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023

<u>IN THE MATTER OF:</u>

RAVENDRA SINGH ...APPLICANT

VERSUS

NHAI & ORS. ...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, AGRA, UTTAR PRADESH ALONGWITH SUPPORTING AFFIDAVIT.	3 - 10
2.	**ANNEXURE-1.** Letter dated 11.06.2025 from Project Manager, C&DS Unit–35, U.P. Jal Nigam (Urban), Agra	11
3.	**ANNEXURE-2.** Letter dated 16.06.2025 from Municipal Commissioner, Agra to Principal Secretary, Urban Development	12
4.	**ANNEXURE-3.** Minutes of Review Meeting dated 17.05.2025 by District Magistrate, Agra	13 - 15

5.	**ANNEXURE-4.** Letter dated 02.07.2025 from Project Director, NHAI – PIU Gwalior.	16 - 17
6.	**ANNEXURE-5.** Letter dated 07.07.2025 from Municipal Commissioner, Agra.	18 - 19
7.	**ANNEXURE-6.** Letter dated 01.08.2025 from Executive Engineer, PWD, Agra	20 - 25
8.	**ANNEXURE-7.** Minutes of Follow-up Meeting dated 11.07.2025 by District Magistrate, Agra	26 - 28
9.	**ANNEXURE-8.** Inspection Report of Residential Colonies with notice details and compliance status	29 - 30

Through

Date: 19.08.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI
ADVOCATE
STANDING COUNSEL FOR STATE UTTAR PRADESH
F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014
E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
E.A. No. 34/2024

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023

IN THE MATTER OF:

RAVENDRA SINGH ...APPLICANT

VERSUS

NHAI & ORS. ...RESPONDENTS

COMPLIANCE REPORT ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, AGRA, UTTAR PRADESH ALONGWITH SUPPORTING AFFIDAVIT.

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

1. This Compliance Report is respectfully submitted in pursuance of the Hon'ble Tribunal's order dated 06.05.2025 passed in Execution Application No. 34/2024 in Original Application No. 338/2023 (I.A. Nos. 476/2024 & 293/2025), whereby the Hon'ble Tribunal was pleased to direct the District Magistrate, Agra, to obtain instructions with respect to the action taken against the violators and to submit a fresh report. In compliance with the aforesaid directions, the following action taken

report is being submitted for kind consideration of the Hon'ble Tribunal:

A. **Infrastructure Estimate for Drain Construction:-**The Project Manager, C&DS Unit–35, U.P. Jal Nigam (Urban), Agra, vide letter no. 661/Estimation/46 dated 11.06.2025, forwarded the preliminary estimate of ₹10,863.45 lakh for construction of RCC drains on both sides from Sevala Sarai to Kakua Canal, Agra, to the Municipal Commissioner, Agra Municipal Corporation. **A true copy of the letter dated 11.06.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/1.**

B. Subsequently, the Municipal Commissioner, Agra, vide letter no. 362/D/EE-/25 dated 16.06.2025, requested the Principal Secretary, Urban Development Department, Government of U.P., Lucknow, for release of the aforesaid amount. **A true copy of the letter dated 16.06.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/2.**

C. **Review Meeting by District Magistrate, Agra**: A review meeting was convened by the District Magistrate, Agra, on 06.05.2025 to ensure effective action and monitoring. Minutes were issued vide letter no. 185/L-246/2025 dated 17.05.2025. **A true copy of the minutes dated 17.05.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/3.**

D. **Status from National Highways Authority of India (NHAI)**:- The Project Director, NHAI – PIU Gwalior, vide letter no. NHAI/PIU-Gwalior/Agra-Gwalior (Km 8 to 13)/2025/15942

dated 02.07.2025, informed that the road section from Km 08.000 to Km 13.000 of NH–3 lies within Agra city. Maintenance was earlier managed under a concession agreement dated 28.10.2014, which expired on 01.05.2024, after which the section was transferred to the State Government. Despite such transfer, pothole repairs and laying of cement concrete interlocking tiles over a 300-meter stretch were undertaken. An estimate of ₹499.38 lakh (inclusive of GST) was duly approved by NHAI, and 50% of the sanctioned amount, i.e., ₹2,49,68,994, was released via DD No. 841466 dated 18.06.2025. The balance amount shall be released upon submission of utilization certificate. **A true copy of the letter dated 02.07.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/4.**

E. Clarification by Agra Municipal Corporation :- The Municipal Commissioner, Agra, vide letter no. 466/D/ANA/2025 dated 07.07.2025, clarified that the waterlogging locations lie outside municipal limits, and the responsibility for provision of basic amenities rests with PWD and NHAI. **A true copy of the letter dated 07.07.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/5.**

F. PWD Status and Repair Work The Executive Engineer, PWD Agra, vide letter no. 2856/5 M.G. dated 01.08.2025, stated that the NH–3 stretch from Rohta (Km 8) to Kakua (Km 12) was not formally handed over to PWD due to existing damages. NHAI sanctioned ₹499.38 lakh for repairs, of which ₹2.49 crore has

already been allocated. Owing to heavy rainfall, damaged portions were temporarily filled with stone and rendered pothole-free, ensuring smooth traffic movement. Permanent repairs using DBM, BC, crack sealing, and cement concrete pavement at identified spots will be undertaken once weather permits. Higher authorities have directed construction of large RCC drains and other necessary works, for which requisite instructions have been issued to the Project Director, U.P. C&DS, Unit–35, Agra. **A true copy of the letter dated 01.08.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/6.**

G. That a follow-up meeting was convened by the District Magistrate, Agra, on 08.07.2025 to review progress. Minutes were issued vide letter no. 357/L-246/2025 dated 11.07.2025. **A true copy of the minutes dated 11.07.2025 is annexed herewith and marked as Annexure P/7**.

H. That pursuant to the above meeting and in compliance of the Hon'ble Tribunal in para 4 of its order has directed as under:

> *"District Magistrate will ascertain the correct position and fix the responsibility within two weeks. We direct that the Authority or body found responsible will take immediate action thereafter…"*

The District Magistrate, Agra has duly ascertained the correct position and has taken action pursuant thereto. Further, it has been directed that the Agra Development

Authority and the Zila Pnachayat, Agra shall ensure that appropriate departmental action is initiated against the officials responsible for permitting/setting up of illegal residential, commercial and group housing colonies within the regulated area.

I. Inspection of Residential Colonies: The Regional Office, District Magistrate, Agra, conducted inspections of various Agra Development Authority–approved residential colonies. Based on findings, a report was forwarded to the Chief Environmental Officer (Circle–4), District Magistrate, Agra Lucknow, recommending issuance of Show Cause Notices under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 for:

i. Obtaining consent certificates (Water/Air); and

ii. Establishing sewage treatment plants for treatment of domestic sewage.

Details of inspected colonies, dates of notice, and compliance status are annexed herewith and marked as Annexure P/8.

2. The Respondents respectfully reaffirm their commitment to strict compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal. Through coordinated efforts of all concerned authorities, sustained focus on environmental safeguards, and expeditious execution of corrective

measures, the Respondents remain committed to securing the welfare of affected residents and to creating a sustainable, habitable environment in the region.

Through

Date: 19.08.2025

Place: New Delhi

PRIYANKA SWAMI

ADVOCATE

STANDING COUNSEL FOR STATE UTTAR PRADESH

F-13, JANGPURA, NEW DELHI 110014

E-mail:advpriyankaswami@gmail.com

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

E.A. No. 34/2024

In

ORIGINAL APPLICATION NO. 338/2023

IN THE MATTER OF:

RAVENDRA SINGH ...APPLICANTS

VERSUS

NHAI & ORS. ...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I Aravind Bangari, aged about 43 years s/o Sh. Sri Mallappa is presently posted as District Magistrate, Agra, Uttar Pradesh, having an office at Agra, Uttar Pradesh.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

2. That the accompanying Report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying Report are true and correct, and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY Pawan Kumar Sharma Advocate Distt - AGRA Regd No 2323/02 VALID-04/12/27 GOVT OF INDIA

DEPONENT

VERIFICATION

Verified on solemn affirmation at AGRA on this 19 day of Aug. 2025 that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

S.N. A/1361/2025
Explained to Sri Aravind Bangari
Read by ... as D.M. Agra
Who understood the contents
Solemnly affirmed & declare on
Oath on 19/8/2025
At Agra
Identified by Self

NOTARY
Pawan Kumar Sharma Advocate
Distt.- AGRA
Regd No ...
VALID-...
GOVT OF INDIA

DEPONENT

कार्यालय परियोजना प्रबन्धक, सी0 एण्ड डी0 एस0

☎ 0562 4001503 Anx-P/1

यूनिट–35, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

e-mail: cdsupjn35@gmail.com

नं0 798, सेक्टर–7 (जैन मंदिर के पास) आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा, आगरा–282007

पत्रांक 261 / प्रा0आ0 / 56 दिनांक 11-06-2025

सेवा में

नगर आयुक्त महोदय,
नगर निगम, आगरा।

विषय:– जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, आगरा द्वारा दिनांक 06.05.2025 को आहूत बैठक में जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन प्रेषित करने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त के अनुपालन में संदर्भित कार्य का प्रारम्भिक आगणन धनराशि रू0 10863.45 लाख का 02 प्रतियों में संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 में ड्रेनेज हेतु मास्टर प्लान तैयार होने के उपरान्त योजना की डी0पी0आर0 प्रेषित किया जायेगा।

Sl.No.	Description	Amount (Rs. In LaKH)
1	Detailed Estimate of Construction R.C.C. Drain from Sewala Saray to Kakua Via Rohta Crossing at Both Side of Gwalior Road District Agra	10863.45

संलग्नक:– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

परियोजना प्रबन्धक

पृ0सं0 एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, आगरा।
3. मुख्य महाप्रबन्धक (चतुर्थ), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4. महाप्रबन्धक (नि0–03/नि0–11), सी0एण्ड डी0एस0, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
5. श्री आदेश कुमार, स्थानिक अभियन्ता।

परियोजना प्रबन्धक

Anx-P/2

12

आगरा नगर निगम

फोन : +91-562-2850670
फैक्स : +91-562-2850499
ई-मेल : amcagra@yahoo.com

प्रेषक,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, आगरा।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
नगर विकास विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

पत्रांक : 362/D/ee III/25 दिनांक : 16/6/2025

विषय : जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया सेवला सराय से ककुआ नहर तक के क्षेत्र में जलभराव की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन का निर्माण जनहित में कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये परियोजना प्रबन्धक, सी. एण्ड डी.एस., यूनिट–35, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), आगरा के पत्रांक 661/प्राक्कलन/46, दिनांक 11.06.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनांक रू. 10863.45 लाख का आगणन तैयार किया गया है। अवगत कराना है कि नगर निगम, आगरा की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण नगर निगम, आगरा स्वयं के स्त्रोत से उक्त धनराशि वहन करने में सक्षम नही है।

अतः जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर.सी.सी. ड्रेन के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु धनराशि रू. 10863.45 लाख के आगणन की प्रति एतद् पत्र के साथ संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया उक्त धनराशि नगर निगम, आगरा को अवमुक्त करने का कष्ट करें, जिससे कि नगर निगम, आगरा द्वारा उक्त स्थल पर नाला का निर्माण कराया जा सके एवं आम जनमानस को इसका लाभ प्राप्त हो सके।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा।

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा को सूचनार्थ।
2. जिलाधिकारी महोदय, आगरा को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

N.A Munu (01-06-2024)

Anx- P/3

<u>मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 विषयक बैठक का कार्यवृत्त :</u>

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 06.05.2025 को सांय 06:30 बजे अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :–

सर्वश्री:

1. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
2. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर।
4. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, आगरा।
5. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
7. अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा।
8. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।
9. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 06.05.2025 को सम्पन्न बैठक में चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:–

1. आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा को विनियमित क्षेत्रांर्गत संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह होने के साथ साथ गुणवत्तापरक प्रचुर नगरीय जनसुविधाएँ प्रदान करने हेतु कटिवद्ध रहें। आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व जिला पंचायत आगरा के विनियमित क्षेत्रांर्गत अविकसित/विकसित आवासीय कालोनियों कें सीवरेज जल निकासी, सड़क अनुरक्षण, सफाई एवं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

    (कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा)

2. आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा को विनियमित क्षेत्रांर्गत अवैध कॉलोनियां बसाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।

    (कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा)

कृ0प0उ0

3. आगरा नगरीय क्षेत्रों में कतिपय कालोनाईजरों, सहकारी आवासीय समितियों तथा निजी भू–स्वामियों द्वारा अनधिकृत रूप से भूमि का उप–विभाजन कर एवं ले–आउट प्लान स्वीकृत कराए बिना कालोनियों निर्मित की जाएंगी, तब इस स्थिती में आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा के जिम्मेदार अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा)

4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर एंव प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा और नगर निगम, आगरा से समन्वय स्थापित कर सीवेरज जल निकासी हेतु त्वरित व्यवस्थता सुनिश्चित किया जाए, जिससे स्थानिक निवासीगणो जनमानस के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ सके।

(कार्यवाही:– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय, राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर एंव अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा और नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा)

5. नगर आयुक्त नगर निगम, आगरा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाये जाये जिसमें उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा ,उ०प्र० कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़ आगरा, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), अधिषाशी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत आगरा सदस्य होंगे। जिनके द्वारा आगरा–ग्वालियर मार्ग पर रोहता से नगला मकरौल से ककुआ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ की सर्विस लेन के किनारे नाले (ड्रेनेज) के निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) तैयार कर प्रस्तुत की जाये। अबतक जो सूचनाये प्राप्त हैं या जो कार्य पूर्ण हो चुके है जैसे सीवरेज जल निकासी तथा सड़क की मरम्मत का कार्य की सूचना फोटोग्राफ्स के साथ मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण, आगरा द्वारा प्रस्तुत की जाये।

(कार्यवाही:– नगर आयुक्त–नगर निगम, आगरा, उपाध्यक्ष– आगरा विकास प्राधिकरण, परियोजना निदेशक,उ०प्र० कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), अधिषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा)

6. मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में जनपद आगरा से सम्बन्धित लम्बित वादों को जिला पर्यावरण समिति की बैठक में रखा जाये तथा वादों में कार्यवाही से सम्बन्धित विभागों का भी उल्लेख किया जाये।

(कार्यवाही:– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग/क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

पत्रांकः 185/L-246/25 दिनांकः 17-05-2025

प्रतिलिपिः– निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग / सदस्य संयोजक, जिला पर्यावरण समिति, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
4. सचिव, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
5. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
6. अधिशषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निमार्ण विभाग, आगरा।
7. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर।
8. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, आगरा।
9. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
10. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा।
11. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
12. उपजिलाधिकारी, सदर, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।

Scanned with OKEN

248

Anx-P/4

K.N
29/7/25

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना कार्यान्वयन ईकाई : डी-81, गोविन्दपुरी, सचिन तेन्दुलकर मार्ग, ग्वालियर (म. प्र.)-474011

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Project Implementation Unit : D-81, Govindpuri, Sachin Tendulkar Marg, Gwalior (M.P.)-474011
फोन/Phone : 0751-2231485, ई-मेल/E-mail : gwalior@nhai.org; nhaigwalior@gmail.com

सत्यमेव जयते

BHARATMALA
ROAD TO PROSPERITY

EU 80580026
7-7-25

भाराराप्रा / पकाई–ग्वा. / आगरा–ग्वा.(8 से 13) / 2025 / 15942 A.D.M(C) दिनांक 02.07.2025

प्रति,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना,
आगरा (उ0प्र0)

1935/ERK

RO आवश्यक कार्यवाही हेतु
कृते जिलाधिकारी आगरा
21-7.25

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित आ0ए0 संख्या–338 / 2023 एवं ई0ए0 संख्या 34 / 2024 रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाईवे अथोरिटी ऑफ इंण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

संदर्भः (1) इस कार्यालय का ईमेल दिनांक 24.05.2025.
(2) आपका कार्यालयीन पत्र क्रमांक 313 दिनांक 27.06.2025.

233
ROPCB

महोदय,

विषयांतर्गत प्रकरण में कृपया अपने कार्यालयीन पत्र दिनांक 27.06.2025 का संदर्भ लें, जिसके माध्यम से मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्तमान अवधि तक कृत कार्यवाही/अनुपालना के सम्बन्ध में आख्या प्रस्तुत करने हेतु लेख किया गया है।

ADM 8
25/7/25

2. तदानुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कियान्वयन इकाई–ग्वालियर द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में यह अवगत किया जाता है कि यह प्रकरण जो कि रा.रा.–3 के किमी. 08+000 से 13+000 तक आगरा शहर की सड़क से संबंधित हैं एवं जिसका रख–रखाव पूर्व में भाराराप्रा द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अनुबंध दिनांक 28.10.2014 के मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित किया जा रहा था। भाराराप्रा के अनुबंध दिनांक 28.10.2014 की अवधि 01.05.2024 को समाप्त हो चुकी है, तथा आगरा शहर के लिये बायपास का निर्माण पूर्व में ही वर्ष 2016 में किया जा चुका है। अतः सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की गाईडलाइन दिनांक 30.11.1977, 12.04.1982 इत्यादि के अनुसार रा.रा.–3 के किमी. 08+000 से 13+000 का खण्ड वर्तमान में रा.रा. का हिस्सा नहीं रहा है एवं राज्य शासन को दिनांक 01.05.2024 से स्वतः ही हस्तांतरित हो चुका है।

ASO

3. तथापि, अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. आगरा द्वारा वांछित रख–रखाव कार्य भी इस कार्यालय द्वारा समय–समय पर सम्पन्न किये गये एवं स्थानीय जनता एवं सड़क उपयोगकर्ताओं की समस्या को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यालय द्वारा सड़क के उक्त खण्ड में गढ्डों की मरम्मत की जाकर, अत्यधिक जल भराव वाले स्थान पर लगभग 300 मी. लम्बाई में Pavement Quality Concrete (PQC) करा दिया गया (फोटोग्राफ संलग्न)।

JA
Put up
30/7/25
ASO

4. यद्यपि सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की उपरोक्त गाईडलाइन के अनुसार सड़क के उक्त भाग (किमी. 08+000 से किमी. 13+000) का राज्य शासन को स्वतः हस्तांतरण का प्रावधान होने के कारण, यह कार्यालय उक्त खण्ड में अतिरिक्त कार्य कराये जाने की स्थिति में नहीं था, तथापि औपचारिक हस्तांतरण से पूर्व अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि आगरा द्वारा उनके स्तर से सड़क के विषयांतर्गत भाग में आवश्यक मरम्मत कार्य किये जाने के लिए प्राक्कलन लागत रू0 499.38 लाख (जी.एस.टी. सहित) इस कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसे सक्षम प्राधिकारी भा.रा.रा.प्रा. से स्वीकृत किया जा कर, भा.रा.रा.प्रा. की पॉलिसी गाईडलाइन अनुसार वांछित राशि की 50 प्रतिशत **राशि रू. 2,49,68,994/– (दो करोड़ उनंचास लाख अड़सठ हजार नौ सौ चौरानवे रूपये) इस कार्यालय द्वारा जमा किये जा चुके हैं तथा शेष राशि** का भुगतान भी उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के उपरांत कर दिया जावेगा।

Head Office : Plot No. G-5.6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075 Website : www.nhai.gov.in Phone : 011-25074100, 200
Regional Office : House No. 41, Aadarsh Nagar, Narmada Road, Jabalpur (M.P.) - 482008 E-mail : rojabalpur@nhai.org Phone : 0761-3585028

सड़कें ही नहीं, राष्ट्र का निर्माण भी Building a Nation, Not Just Roads

5. प्रकरण में माननीय अधिकरण के आदेश की अनुपालना में, भा.रा.रा.प्रा. द्वारा किए गए उपरोक्त कार्यों/प्रगति की बस्तुस्थिति से इस कार्यालय द्वारा दिनांक 24.05.2025 को ईमेल (प्रतिलिपि संलग्न) के माध्यम से आपको अवगत करा दिया गया।

6. उपरोक्त के अतिरिक्त, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि माननीय अधिकरण द्वारा भा.रा.रा.प्रा. को किमी 08+000 से किमी 13+000 तक के खण्ड में कलवर्ट निर्माण से संबंधित स्थिति से अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश की अनुपालना में भा.रा.रा.प्रा. द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए हलफनामा माननीय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

02/07/25

(परियोजना निदेशक),
भा.रा.रा.प्रा–प.का.ई, ग्वालियर(म.प्र.)

प्रतिलिपि–

1. महाप्रबंधक (तक0) म.प्र. प्रभाग, भा.रा.रा.प्रा. मुख्यालय नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, भा.रा.रा.प्रा. क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अपर जिलाधिकारी (प्र0) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. परियोजना निदेशक, भा.रा.रा.प्रा., प.का.ई.–आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी आगरा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
9. अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड, लो.नि.वि. आगरा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Nagar Nigam Agra 08.07.2025

Anx - P/5

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा

पत्रांक :– 466/डी0/ए0एन0ए0/2025 दिनांक :–07 जुलाई, 2025

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
आगरा।

विषय :– **मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 338/2023 एवं ई0ए0 सं0 34/2024 रविन्द्र सिंह बनाम् नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र सं0 313/एल0–246/2025 दिनांक 27.06.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा अनुरोध किया गया है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में सम्बन्धित विभागों द्वारा वर्तमान अवधि तक की गयी कार्यवाही/अनुपालन की रिपोर्ट मा0 अधिकरण में ससमय प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने हेतु 01 सप्ताह में उपलब्ध करा दी जाये।

अवगत कराना है कि उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सम्बन्धित विभागों के साथ दिनांक 06.05.2025 को बैठक आयोजित की गयी थी। बैठक के कार्यवृत्त सं0 185/एल–246/25 दिनांक 17.05.2025 सम्बन्धित विभागों को अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु जारी किया गया था। बैठक कार्यवृत्त में निम्न बिन्दुओं पर नगर निगम, आगरा की ओर से कार्यवाही के निर्देश दिये गये थे :–

क0सं0	कार्यवृत्त में इंगित दिशानिर्देश बिन्दु	आख्या
1	<u>बिन्दु–4</u> भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर एवं प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, आगरा और नगर निगम, आगरा से समन्वय स्थापित कर, सीवरेज जल निकासी हेतु त्वरित व्यवस्थता सुनिश्चित किया जाये, जिससे स्थानीय निवासीगणों जनमानस के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ सके।	अवगत कराना है कि ग्वालियर राजमार्ग स्थित जिन स्थलों बरसात के समय जलभराव होता है, वह स्थल नगर निगम, आगरा की सीमा से बाहर है। प्रश्नगत् मार्ग लोक निर्माण विभाग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग) के स्वामित्वाधीन मार्ग है, जिन पर समस्त मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित विभागों के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आता है। **जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रदत निर्देशों के कम में जब भी उक्त मार्ग पर जलभराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो सम्बन्धित विभागों के अनुरोध पर, मार्ग पर भरे पानी को सक्शन मशीन के माध्यम से हटाने का कार्य नगर निगम, आगरा द्वारा कराया जाता है।**

2	**बिन्दु सं0–05** नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी जाये, जिसमें उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा उ0प्र0 कन्स्ट्रक्शन डिजाइन सर्विसेज, आगरा, परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय, राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा ग्वालियर मार्ग), अधिशासी अभियंता, प्रांतीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, आगरा तथा अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत सदस्य होंगे। जिनके द्वारा आगरा ग्वालियर मार्ग पर रोहता से नगला मकरौल से ककुआ तक राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों तरफ सर्विस लेन के किनारे (ड्रेनेज) निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार कर प्रस्तुत की जाये। अब तक जो सूचनाये प्राप्त हैं या जो कार्य पूर्ण हो चुके है जैसे सीवरेज, जल निकासी तथा सड़क की मरम्मत का कार्य की सूचना फोटोग्राफ के साथ मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आगरा के द्वारा प्रस्तुत की जाये।	अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में परियोजना प्रबंधक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, उ0प्र0 जल निगम, आगरा द्वारा कार्यालय पत्र सं0 661/प्राकलन/46 दिनांक 11.06.2025 द्वारा जनपद आगरा में सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन धनांक रू0 10863.45 लाख का प्रस्तुत किया गया था। प्राप्त आगणन को कार्यालय पत्र सं0 362/डी0/ई0ई0–3/25 दिनांक 16.06.2025 के द्वारा प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास अनुभाग, उ0प्र0 शासन को स्वीकृति एवं धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है। उ0प्र0 शासन से प्रश्नगत् कार्य की स्वीकृति एवं धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त ही, सी0एण्ड डी0एस0 इकाई, उ0प्र0 जल निगम, आगरा के माध्यम से नाला निर्माण की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी **(सुलभ संदर्भ हेतु प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।**

अतः आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– यथोपरि।

7/7/25

अपर नगर आयुक्त
नगर निगम, आगरा

Annx - P/6

उत्तर प्रदेश सरकार
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा– 282001
PROVINCIAL DIVISION, P.W.D. AGRA-282001
email- pwd123pd@gmail.com
pwdhelpline@gmail.com

पत्रांक 2856/5M8 दिनांक 01/08/25

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ०प्र०प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन संख्या 14, सेक्टर–3बी,
आवास विकास योजना आगरा।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या 338/2023 एवं ई०ए० संख्या 34/2024 रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 313/एल–246/2025 दिनांक 27.06.2025

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (एन०एच०–3) भाग सेहता (किमी–8) से नगला माकरौल, इटौरा एवं ककुआ (किमी–12) तक में पूर्व में मार्ग का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कराया गया था। उक्त मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लोक निर्माण विभाग को हस्तगत नहीं हुआ था। तत्क्रम में एन०एच०ए०आई० द्वारा उक्त मार्ग के किमी–8.000 से 13.000 में आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु इस खण्ड को रु० 499.38 लाख (जी०एस०टी० सहित) की स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा डी०डी० संख्या–841466 दिनांक 18.06.2025 के द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि रु० 249.68994 लाख का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, आगरा को आवंटन प्रदान किया गया है।

वर्तमान में अत्यधिक वर्षा होने के कारण विषयक मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग में पत्थर भरवाकर मार्ग को गड्ढामुक्त करा दिया गया है। मार्ग पर यातायात सुचारु रूप से चल रहा है। मौसम अनुकूल होने पर मार्ग के आवश्यकतानुसार भाग में मरम्मत का कार्य डेन्स बिटुमिनस मेकेडम (डी०बी०एम०), बिटुमिनस कांक्रीट (बी०सी०), क्रैकसीलिंग तथा कुछ स्थानों पर सीमेन्ट कांक्रीट पेवमेन्ट द्वारा करा दिया जायेगा।

उक्त मार्ग पर जलभराव की उचित निकासी की व्यवस्था कराने हेतु वृहद आर०सी०सी० ड्रेन निर्माण व अन्य विविध कार्य आदि हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही परियोजना निदेशक, उ०प्र० कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, आगरा द्वारा किये जाने के निर्देश दिये गये है।

संलग्न–विषयक मार्ग के फोटोग्राफ्स।

01/08/25
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,आगरा
दिनांकः

पत्रांक :–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी महोदय, आगरा।
2. उपाध्यक्ष महोदय, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. अपर जिलाधिकारी (नगर), आगरा।
4. नगर मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी (वाद), आगरा।
5. अपर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
6. परियोजना निदेशक, उ०प्र० कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, आगरा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार मार्ग पर प्रभावी कार्यवाही हेतु सम्बन्धित को अविलम्ब निर्देशित करने का कष्ट करें।

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड,लो०नि०वि०,आगरा

253

GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098168° Long 77.994083°
11/07/2025 03:05 PM GMT +05:30
Google

255

GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098168° Long 77.994083°
11/07/2025 03:04 PM GMT +05:30
Google

256

MOTION
JCB
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098148° Long 77.994096°
11/07/2025 03:04 PM GMT +05:30
Google

257

SURBHI MART
JCB
XPERT
GPS Map Camera
Nagla Makrol, Uttar Pradesh, India
3xxv+6p3, Service Rd, Nagla Makrol, Uttar Pradesh 282009, India
Lat 27.098172° Long 77.994092°
11/07/2025 03:04 PM GMT +05:30
Google

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 विषयक बैठक दिनांक 08.07.2025 का कार्यवृत्त :

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन संख्या–34/2024 में ओ0ए0 संख्या–338/2023 (आई0ए0 संख्या 476/2024 एवं 293/2025) रविन्द्र सिंह बनाम नेशनल हाई–वे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.05.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही एवं अनुश्रवण हेतु दिनांक 08.07.2025 को सांय 05:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में सर्किट हाउस के सभागार, आगरा में आहूत की गयी। उक्त बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :–

सर्वश्रीः

1. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
2. अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर के प्रतिनिधि।
4. स्थानीय अभियन्ता, उ0प्र0 कन्सट्रक्श्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, यूनिट–35, आगरा।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड, आगरा।
6. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
7. अधिाषाशी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
8. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 06.05.2025 को सम्पन्न बैठक में जारी कार्यवृत्त दिनांक 17.05.2025 में प्रदत्त निर्देशो के अनुपालन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त चर्चा के दौरान दिये गये निर्देश निम्नवत् हैं:–

1. बैठक में उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया आगरा गवालियर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच–3) ग्राम–रोहता, (किमी0–08) से नगला माकरोल, इटौरा एवं ककुआ (कि0मी0–12 में से मात्र 5–कि0मी0) का विनियमित परिक्षेत्र आगरा विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत निहित है, शेष जिला पंचायत, आगरा के अन्तर्गत आता है। आगरा विकास प्राधिकरण से ले–आउट स्वीकृत कॉलोनियों का स्थल निरीक्षण किया जा रहा है।

   इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये है कि आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा व जिला पंचायत आगरा के विनियमित क्षेत्रांर्गत अविकसित/विकसित आवासीय कालोनियों में स्वीकृत ले–आउट प्लान/तलपट मानचित्र के आधीन पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य हो तथा सीवरेज जल निकासी, सड़क अनुरक्षण, सफाई एवं कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्राधिकरण/जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत आने वाले समस्त अनाधिकृत आवासीय/व्यवसायिक/ ग्रुप हाउसिंग के भवनों को चिन्हित कर अवैध निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम हेतु निमयानुसार सील करने एवं ध्वस्तीकरण किये जाने हेतु विशेष अभियान चलाया जाये।

   (कार्यवाहीः– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, एवं अपर मुख्य अधिकारी, जिलापंचायत, आगरा)

2. आगरा विकास प्राधिकरण एवं जिला पंचायत आगरा को विनियमित क्षेत्रांर्गत अवैध आवासीय/व्यवसायिक/ ग्रुप हाउसिंग कॉलोनियां बसने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित किया जाना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही:– उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा एंव अपर मुख्य अधिकारी, जिलापंचायत, आगरा)

3. स्थानीय अभियन्ता, उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, यूनिट–35, आगरा द्वारा अवगत कराया गया कि "जनपद आगरा के ग्वालियर रोड पर सेवला सराय से ककुआ नहर तक (दोनों तरफ) आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु प्रारम्भिक आगणन धनराशि रू0–10863.45 लाख का वाह्य वास्तुविद से तैयार कर नगर आयुक्त महोदय, नगर निगम, आगरा को दिनांक 11.06.2025 द्वारा प्रेषित किया जा चुका है एवं प्रारम्भिक आगणन की एक प्रति अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, आगरा को प्रेषित की जा चुकी है।" विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) का थर्ड पार्टी परीक्षण कराया जा रहा है परीक्षण आख्या प्राप्त होते ही बजट की मॉग हेतु (डी0पी0आर) शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35, उ0प्र0 जल निगम नगरीय, आगरा को निर्देशित किया गया कि ग्वालियर रोड पर सेवला सराय से ककुआ नहर तक दोनों तरफ आर0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण कार्य हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) एवं बजट की वित्तीय स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी स्तर से उ0प्र0 शासन को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी– परियोजना निदेशक,उ0प्र0 कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, यूनिट–35,उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), आगरा)

4. नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ग्वालियर के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आगरा को राष्ट्रीय रा.रा.–3 के खण्ड किमी0 08+000 से 13+000 में आवश्यक मरम्मत कार्य हेतु राशि रू0–499.38 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की स्वीकृत प्रदान की गयी है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजभार्ग प्राधिकरण की पॉलिसी गाइडलाइन के अनुसार वाछित की राशि 50 प्रतिशत राशि रू0–249.68994 लाख अधिशाषी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा को प्रेषित कर दी गयी है तथा शेष राशि का भुगतान भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त कर दिया जायेगा। अग्रेतर ग्राम रौहता से नगला माकरौल से ककुआ तक मुख्य मार्ग पर आंशिक भाग पर लगभग 300 मी0 तक आर0सी0सी0 सड़क निर्माण करा दिया गया है व उक्त खण्ड में गड्ढों को भरवा दिया गया है, अत्यधिक जल भराव वाले स्थान पर लगभग 300 मी0 लम्बाई में Pavement Quality Concrete (PQC) करा दिया गया है।

इस सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आगरा को निर्देशित किया गया है कि शेष 50 प्रतिशत राशि प्राप्ति हेतु उपयोगिता प्रमाण पत्र ससमय नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ग्वालियर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी– लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड, आगरा/नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया ग्वालियर)

5. वर्ष ऋतु में राष्ट्रीय रा.रा.–3 के खण्ड किमी0 08+000 से 13+000 में जलभराव की निकासी हेतु समुचित प्रबंध जैसे– अस्थायी पम्पिंग सेटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

(कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी– जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा)

(अरविन्द मल्लप्पा बंगारी)
जिलाधिकारी
आगरा।

पत्रांकः 357/L-246/25

दिनांकः 11-07-2025

प्रतिलिपिः–निम्नांकित महोदय को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आयुक्त महोदय, आगरा मण्डल, आगरा।
2. उपाध्यक्ष, आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।
3. नगर आयुक्त, नगर निगम, आगरा ।
4. अधिशषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आगरा।
5. परियोजना निदेशक,भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (आगरा–ग्वालियर मार्ग), ग्वालियर।
6. परियोजना निदेशक, उ0प्र0 कन्सट्रक्न एण्ड डिजाइन सर्विसेज़, आगरा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषणनियंत्रणबोर्ड, आगरा।
8. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा।

जिलाधिकारी
आगरा।

क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
भवन सं0 14, सेक्टर 3बी, आवास विकास सिकन्दरा योजना, आगरा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–338/2023 रविन्द्र सिंह बनाम राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं अन्य तथा वाद सं0–34/2024 में पारित आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में कॉलोनियों पर की गयी कार्यवाही का विवरण।

क0 सं0	कॉलोनी का नाम व पता	विकासकर्ता / आर0 डब्ल्यू0ए0 का नाम व पता	एस0 टी0पी0 स्थिति (है या नहीं)	उपस्थित प्रतिनिधि	निरीक्षण / नोटिस प्रेषित दिनांक	कारण बताओ नोटिस की संस्तुति दिनांक
1	मै0 सिल्वर टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–144, 150 व 154, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड आगरा।	श्री गोविन्द सिंह, पतंजलि सहकारी आवास समिति लि0, पता–राजकमल मार्केट, मधुनगर, ग्वालियर रोड, आगरा। (मो0–8449908011)	नहीं	श्री तेज सिंह एवं श्री नाहर सिंह मो0–8449794320, 9759862672	19.06.2025/ पत्रांक–295/ L-246/2025 दिनांक 20.06.2025	पत्रांक 433/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025
2	मै0 सिल्वर गोल्ड कॉलोनी, खसरा नं0–97, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड आगरा,	श्री गोविन्द सिंह, पतंजलि सहकारी आवास समिति लि0, पता–राजकमल मार्केट, मधुनगर, ग्वालियर रोड, आगरा। (मो0–8449908011)	नहीं	श्री करन सिंह एवं श्री मेहताब सिंह चाहर मो0–9897983621	19.06.2025/ पत्रांक–281/ L-246/2025 दिनांक 19.06.2025	पत्रांक 436/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025
3	मै0 सिल्वर वैली कॉलोनी, खसरा सं0–142, मौजा–नैनाना जाट, ग्वालियर रोड आगरा।	श्री देव करन सिंह, सॉई बाबा, सहकारी आवास समिति लि0, पता–मधुनगर, ग्वालियर रोड, आगरा (मो0–8449908011)	नहीं	श्री तेज सिंह एवं श्री अशोक फौजदार मो0–9219610437	19.06.2025/ पत्रांक–296/ L-246/2025 दिनांक 20.06.2025	पत्रांक 437/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025
4	मै0 दीक्षा द्वारिका कॉलोनी, खसरा सं0–753, भाग–755, 756, 757 मौजा–रोहता, आगरा।	श्री महेश अग्रवाल, पता–05 प्रथम तल, मारूति प्लाजा, संजय प्लेस, आगरा (मो0–9897169994)	नहीं	श्री राजकुमार सुपरवाइजर उपस्थित एवं श्री घनश्याम अग्रवाल मो0–9897169994	24.06.2025/ पत्रांक–304/ L-246/2025 दिनांक 26.06.2025	पत्रांक 438/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025
5	गौरी कुन्ज कॉलोनी, खसरा सं0-53, मौजा–रोहता, आगरा।	श्री विनीत मित्तल, गौरी कुंज कॉलोनी, पता–45 डिफेंस स्टेट, बिन्दू कटरा, ग्वालियर रोड, आगरा।	नहीं	श्री सुन्दर सिंह एवं श्री लाखन चन्दन मो0–9045443302	17.06.2025/ पत्रांक–305/ L-246/2025 दिनांक 26.06.2025	पत्रांक 435/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025
6	मै0 सैंथिया स्टेट कॉलोनी, खसरा सं0–429, 430, एवं 431 मौजा–इटौरा, ग्वालियर रोड, आगरा।	श्री उमेश शर्मा, सचिव–इन्द्रलोक सहकारी आवास समिति लि0, पता–07, वैष्णों विहार कॉलोनी, बाग रौहता, ग्वालियर रोड, आगरा।	नहीं	श्री राजेश कुमार एवं श्री एस0पी0 उपाध्याय मो0–8979046508	16.06.2025/ पत्रांक–306/ L-246/2025 दिनांक 26.06.2025	पत्रांक 440/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025
7	मै0 अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी, खसरा सं0–81, मौजा–नैनाना जाट, आगरा।	श्री राहुल जैन, अनुपम शौर्य विहार कॉलोनी पता–सी–7, कमला नगर, आगरा। (मो0–8279454422)	नहीं	श्री राजेश शर्मा एवं सुदर्शनदास मो0–9412473713	24.06.2025/ पत्रांक–307/ L-246/2025 दिनांक 26.06.2025	पत्रांक 441/ L-246/2025 दिनांक 12.08.2025

8	मै0 विनायक टाउन कॉलोनी, खसरा सं0–813 से 817, 819 से 821, 824 मौजा–रौहता, आगरा।	श्री प्रमोद चौहान, निदेशक–विनायक रियल एस्टेट प्रा0लि0, पता:–134, डिफेन्स स्टेट, फेस–2, देवरी रोड़, आगरा।	नहीं	श्री अजय कुमार मो0–9760568443	01.07.2025 / पत्रांक–323 / L-246 / 2025 दिनांक 03.07.2025	पत्रांक 447 / L-246 / 2025 दिनांक 12.08.2025
9	मै0 द्वारिका रेजीडेन्सी कॉलोनी, खसरा सं0–43, 44, 46, 47 भाग, मौजा–रोहता, आगरा।	श्री नितिन कुमार अग्रवाल, पता:–दुकान नं0–12, तृतीय तल, संजय प्लेस, आगरा। (9897966666)	नहीं	उपाध्यक्ष श्री गुलशन कुमार एवं अध्यक्ष श्री जी0डी0 लवानिया मो0–7976318094, 9012955757	28.06.2025 / पत्रांक–325 / L-246 / 2025 दिनांक 03.07.2025	पत्रांक 446 / L-246 / 2025 दिनांक 12.08.2025
10	मै0 द्वारिका ग्रीन–2 कॉलोनी, खसरा सं0–56, 58, बमरौली रोड़, मौजा–रोहता, आगरा।	श्री अखिल गोयल, अखिल बिल्डर्स प्रा0लि0, पता:–डी–540, कमला नगर, आगरा।	नहीं	सचिव श्री वीरेन्द्र सिंह एवं अध्यक्ष श्री गुड्डू रावत मो0–7455946077, 9927284999	27.06.2025 / पत्रांक–326 / L-246 / 2025 दिनांक 03.07.2025	पत्रांक 443 / L-246 / 2025 दिनांक 12.08.2025
11	मै0 गणपति एन्क्लेव कॉलोनी, खसरा सं0–82पी, बमरौली रोड़, रोहता बाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा।	श्री दौलतराम, सम्राट सहकारी आवास समिति लि0, पता:–36 / 121, गुम्मट तख्त पहलवान, देवरी रोड़, आगरा।	नहीं	श्री के0वी0एस0 चौहान एवं श्री संग्राम सिंह मो0–8941822298	30.06.2025 / पत्रांक–327 / L-246 / 2025 दिनांक 03.07.2025	पत्रांक 445 / L-246 / 2025 दिनांक 12.08.2025
12	मै0 सिल्वर वाटिका कॉलोनी, खसरा सं0–77, 78 भाग, मौजा–नैनाना जाट, आगरा।	श्री देव करन, सचिव–सॉई बाबा, सहकारी आवास समिति लि0, आगरा, पता–राजकमल मार्केट, मधुनगर, आगरा। (मो0–8449908011)	नहीं	श्री राजकुमार चाहर	30.06.2025 / पत्रांक–359 / L-246 / 2025 दिनांक 11.07.2025	पत्रांक 442 / L-246 / 2025 दिनांक 12.08.2025
13	मै0 दीक्षा एस्टेट कॉलोनी, खसरा सं0–74, मौजा–नैनाना जाट, आगरा।	श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह, मै0 दीक्षा सहकारी आवास समिति लि0, पता–राजकमल मार्केट, मधु नगर, ग्वालियर रोड़, आगरा।	नहीं	श्री पीयूष त्यागी मो0–9694796954	01.07.2025 / पत्रांक–392 / L-246 / 2025 दिनांक 23.07.2025	पत्रांक 439 / L-246 / 2025 दिनांक 12.08.2025

(वैज्ञानिक सहायक) (सहायक वैज्ञानिक अधिकारी) (क्षेत्रीय अधिकारी)